15298

//कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//

//विविध आदेश//

क्रमांक 53 /आपदा प्रबंधन/2020 अलीराजपुर, दिनांक 20/07/2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के परिपत्र कमाक सी/1778 जबलपुर दिनांक 19.07.2020 के परिपेक्ष्य में कोविड–19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों तथा माननीय रजिस्ट्री जबलपुर के परिपत्र कमांक क्यू.–12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 एवं डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 के परिपक्ष्य में जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय अलीराजपुर एवं तहसील न्यायालय जोबट में लॉक–डॉउन अवधि में की जाने वाली न्यायालयीन कार्यवाही को दिनांक 20.07.2020 से 25.07.2020 तक विस्तारित किया किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

01. जिला एवं सत्र न्यायालय एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों के द्वारा प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 एवं 02 के न्यायालयों के द्वारा दोपहर 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक कार्य संपादित करेंगें।

02. समस्त न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ–साथ ऐसे मामले भी संबंधित न्यायालयों द्वारा लिये जावेंगें जो निराकरण की अंतिम अवस्था में है, जो अंतिम सुनवाई के लिए नियत है, रिमाण्ड आवेदन, जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील आदि जिनका निराकरण दोनो पक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुनने के आधार पर बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये किया जा सकता है, पीठासीन अधिकारी अधिवक्तागण से लिखित तर्क पेश करने हेतु भी कह सकते है।

03. प्रकरणों की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जावेगी न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं/पक्षकारों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। व्ही.सी. कक्ष में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक समय में एक अधिवक्ता को तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावेगी।

04. न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं स्टॉफ जो की कंटेनमेंट झोन या ऐसे क्षेत्र जहां कर्फ्यू घोषित हो या कोरनटाईन/आईसोलेशन में हो उनकी उपस्थिति न्यायालय परिसर में प्रतिबंधित रहेगी।

निरन्तर——

05. किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय परिसर में मदिरा, पान, गुटका, तंबाकू का सेवन एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त कृत्य करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसे केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी नियम/ निर्देशों के अन्तर्गत दण्डित किया जावेगा।

06. न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता/पक्षकार एवं स्टॉफ मास्क पहन कर ही न्यायालय परिसर में रहेंगें। संबंधित जिला न्यायालय/अध्यक्ष अभिभाषक संघ यह सुनिश्चित करेंगें की कोई भी न्यायालय परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा।

07. शासकीय दिशा निर्देशानुसार 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों एवं बच्चों को बाहर निकलने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। इसलिये ऐसे अधिवक्ता जो 65 वर्ष से अधिक है एवं बच्चे न्यायालय में अपनी भौतिक उपस्थिति को टाले एवं पर्याप्त सावधानी रखे।

08. न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता/पक्षकार एवं स्टॉफ को प्रवेश के समय न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनर से परीक्षण के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

09. ऐसे व्यक्ति जिन्हें बुखार या जुकाम के लक्षण दर्शित हो उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। यदि किसी स्टॉफ सदस्य को बुखार या जुकाम के लक्षण हो तो तत्काल पीठासीन अधिकारी/ जिला न्यायाधीश को सूचित करें।

10. यदि किसी अधिवक्ता को बुखार या जुकाम के लक्षण हो तो संबंधित अधिवक्ता संघ को सूचित करते हुए जिला न्यायाधीश को भी अवगत करावे।

11. आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिवस केवल ऐसे अधिवक्ताओं, पक्षकारो को न्यायालय में प्रवेश दिया जावेगा जिनके प्रकरण संबंधित दिनांक को सुनवाई में लिये गये है।

12. न्यायालय परिसर / न्यायालय कक्ष में हेण्ड–वाश/ सेनेटाईजर एवं मास्क के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

निरन्तर——

13. न्यायिक अधिकारी/ अधिवक्ता/ पक्षकार/स्टॉफ एवं अन्य स्टेक होल्डर सामाजिक दूरी का पालन करेंगें।

14. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विनोद कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर म.प्र.

पृ0 क्र. 790 /आपदा प्रबंधन/2020,   अलीराजपुर, दिनांक 20/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण अलीराजपुर/जोबट की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारी, न्यायालय अलीराजपुर/जोबट।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर।
5. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, अलीराजपुर/जोबट।
6. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक अलीराजपुर/जोबट ।
7. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संचालक, जनसंपर्क संचानालय अलीराजपुर की ओर इस अनुरोध के साथ की सभी दैनिक सामाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार प्रकाशित कराये जाने।
10. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित, संबंधित आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला नाजिर, जिला न्यायालय अलीराजपुर एवं नायब नाजिर जोबट की ओर इस निर्देश के साथ की एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
12. लेखापाल कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. प्रभारी अधिकारी, कंप्यूटर अनुभाग, अलीराजपुर/जोबट, सिस्टम ऑफिसर /आई.टी. असिस्टेंट, अलीराजपुर/जोबट की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं उक्त संबंधितो को ई–मेल से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

Vinod Kumar 20.07.2020

(विनोद कुमार)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

अलीराजपुर म.प्र.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

CIRCULAR

No.C/1778 Jabalpur Date:19.07.2020

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control over the spread of COVID-19 in the State of M.P., has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the District Courts/Family Courts in the State of M.P. as follows:

> "The limited functioning as per circular No.D/2377 dated 27.06.2020 and circular No.Q.12 dated 4th May 2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court is extended from 20th July, 2020 till 25th July, 2020 for the High Court, Principal Seat at Jabalpur and Bench at Gwalior as well as for District Courts in the State of M.P. except High Court of M.P., Bench at Indore and its Registry where the circular No.Q1/7 dated 16th July, 2020 has been enforced with effect from 17.07.202 till 24.07.2020."

For the Subordinate Courts including Family Courts at Indore, a circular No.Q2/7 dated 17.07.2020 has been issued separately.

By the order of Hon'ble the Chief Justice

19/7/2020

(Rajendra Kumar Vani)
Registrar General